

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 130 OF 2025

IN THE MATTER OF:

VARUN GULATI

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S.No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, SAMBHAL IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 08.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE REPORT DT. 03.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPY OF THE ORDER DT. 17.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 21.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3.	
5.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 29.07.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	
6.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 04.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-5	

7.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 11.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6	
8.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 21.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7	
9.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 25.08.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8	
12.	COPY OF INSPECTION REPORT DT. 05.10.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-9	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com

Ph: 9639286572

DATE: 04.11.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 130 OF 2025

IN THE MATTER OF:

VARUN GULATI

...APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.


...RESPONDENTS

ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE,
SAMBHAL IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 08.10.2025 PASSED
BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

I, ...PRADEEP...VERMA..., aged about 37 years, presently posted as ...INCHARGE...C.A.M.F.I.R..., District Magistrate, Sambhal do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.




प्र. वि. मजिस्ट्रेट
सम्भल

I. BACKGROUND OF THE MATTER


3. In this original application, applicant has alleged that there are highly polluted red category units, involved in illegal jeans dyeing and washing work are operating in District Sambhal and are in violation of the environmental norms without obtaining any permission from the competent authorities.
4. That the abovementioned matter was last listed for hearing on 05.08.2025, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"5. Learned Counsel appearing for the Applicant referring to the Annexure-6 of the report of Respondent No. 3 (page 118) has pointed out the order of the District Magistrate, Sambhal wherein the following observations have been made:

"उपर्युक्त निरीक्षण में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी कारखाने एवं स्थानीय तोगों के अनुसार इस प्रकार के 50-100 जीस की वाशिंग के कारखाने नगर सम्मल में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनसे महिष्मति नदी एवं नाले कैमिकल द्वारा प्रदूषित किये जा रहे हैं। साथ ही इन कारखानों के अवैध संचालन से राज्य सरकार को भी राजस्व क्षति हो रही है। इस कारण इन कारखानों को सम्बन्धित विभाग (जी.एस.टी., प्रदूषण नियंत्रण विभाग, विद्युत विभाग, भूगर्भ जल विभाग आदि) की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराने के उपरांत इन कारखानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

अस्तु नगर मजिस्ट्रेट, सम्मल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त आख्या के क्रम में उपर्युक्तानुसार नगर सम्मल में अवैध रूप से संचालित कारखानों की जांच हेतु। निम्न समिति गठित की जाती है:-

- 1- नगर मजिस्ट्रेट, सम्मल:- अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि:- सदस्य
3. उपायुक्त (राज्य कर), खण्ड-1, सम्मल:- सदस्य
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्मल:- सदस्य
- 5- श्री जितेन्द्र शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, सम्मल:- सदस्य



✓ 
 प्र. जिला मजिस्ट्रेट
 सम्मल

6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्भल: सदस्य

उक्त जांच समिति उपर्युक्तानुसार नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित कारखानों की उपर्युक्त आख्या में उल्लिखित समस्त तथ्यों के अनुसार जांच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।”

6. She has submitted that the above order reveals that around 50-100 illegal jeans washing factories are operating in the area and a Committee has been constituted by the District Magistrate, Sambhal. Therefore, the 4 report of the Committee and the action taken report of the District Magistrate, Sambhal in respect of these illegally operating units should also be filed.

7. Respondent No. 1 while filing the report will duly take into account the above submission of the Applicant.”

5. That it is pertinent to submit here that the City Magistrate, Sambhal, vide report dated 03.07.2025, informed the Deponent that information was received through certain sources regarding the operation of several illegal jeans washing factories in large numbers near Saraswati Vidya Mandir School, Chandausi Road, Sambhal, as well as near Mohalla Nala, Sambhal, and further towards Hayatnagar Road, which are causing pollution.

A Copy of the report dt. 03.07.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE R-1**.


6. That accordingly, along with the area Lekhpal, the following jeans washing factories were inspected on 03.07.2025





 जिला मजिस्ट्रेट
 सम्भल

- Shri Salim, son of Shabbir, resident of Fatehullah Raai — running a jeans washing factory at Chandausi Road, Sambhal.
- Shri Vijay Thakur, son of Shri Sarvesh Thakur, resident of Santnagar, Delhi — operating a jeans washing factory at Mohalla Nala, Sambhal.
- Shri Mukhtiyar, son of Banne, resident of Welcome, Delhi — operating a jeans washing factory at Mohalla Nala, Sambhal.
- Shri Chhaviram Yadav, son of Kanhai, resident of Husainpur Bhud, Sambhal — operating a jeans washing factory at Mohalla Nala, Sambhal.
- Shri Mehrban and Shri Narayan, sons of Shri Sukh Singh, residents of Mouth Tehsil, Jhansi — operating a jeans washing factory at Mohalla Nala, Sambhal.
- Shri Rajesh Kumar, son of Shri Balkaram, resident of Takhepurya, Kannauj, and Shri Fakhre Alam, resident of Gaumatpur, Sambhal — operating a jeans washing factory at Mohalla Nala, Sambhal.
- Shri Santosh, son of Ganga Sahab, resident of Katihar, Bihar, and Mohd. Kamil, resident of Chhota Hasanpur — running a jeans washing factory on the rural road leading from Chaudhary Sarai to Hayatnagar, near the bank of the Mahishmati River, Sambhal.




 प्र जिला मजिस्ट्रेट
 सम्भल

7. That during inspection, no records, licenses, or no-objection certificates pertaining to the operation of these factories were produced. Domestic LPG cylinders were found being used in these units, which is a clear violation of the Essential Commodities Act.
8. Further, most of these factories were found operating in residential areas, which is against the prescribed norms. Large quantities of harmful chemicals were being used, posing serious health hazards to workers and nearby residents.
9. Additionally, these factories used large electrically operated machines, indicating a strong possibility of electricity theft. The chemically contaminated wastewater from these units was being discharged directly into the Mahishmati River, causing river pollution, and in many cases, the effluents were being drained into the ground through local drains.
10. Local residents also protested during inspection, stating that around 50–100 such jeans washing units are being operated illegally in various parts of Sambhal, adversely affecting public life.
11. From the facts observed, it is evident that the aforementioned factories, along with 50–100 similar jeans washing units in Sambhal, are operating



[Signature]
03.11.2025

[Signature]
प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

illegally, causing chemical pollution in the Mahishmati River and nearby drains, as well as revenue loss to the State Government.

III. CONSTITUTION OF JOINT INQUIRY COMMITTEE:

12. That in pursuance of the above inspection, the Deponent vide order dt. 17.07.2025, constituted a Joint Inquiry Committee to investigate the illegally operated jeans washing factories in Sambhal as follows:

S. No.	Designation	Role
1	City Magistrate, Sambhal	Chairperson
2	Representative nominated by the Regional Officer, Pollution Control Board, Moradabad	Member
3	Deputy Commissioner (State Tax), Division-1, Sambhal	Member
4	Executive Engineer, Electricity Distribution Division, Sambhal	Member
5	Assistant Engineer, Minor Irrigation, Sambhal	Member
6	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sambhal	Member

A Copy of the Order dt. 17.07.2025 has been annexed herewith as ANNEXURE R-2.

IV. SUMMARY OF INSPECTIONS BY THE JOINT INQUIRY COMMITTEE:

13. That in compliance of the above order, the following inspections were conducted by the Joint Inquiry Committee:

S. No.	Date of Inspection	Operator of the unit	Location / Coordinates	Key Observations / Violations	Actions Taken
1.	21.07.2025	Operator: Shri Qasim, S/o Shri Nanhe, R/o	Road from Hayatnagar to Hasanpur Munjabta	• Illegal extraction of groundwater without registration or NOC	• Immediate closure of the factory



03.11.2025

प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

Hasanpur Munjabta, Sambhal	(Lat: 28.557425, Long: 78.576751)	<ul style="list-style-type: none"> • No consent to establish/operate from Pollution Control Board; contaminated water discharged into Mahishmati River • No valid GST registration displayed • Violation of labour and safety norms, 20-25 workers not registered them with the Labour Enforcement Office • Absence of fire safety arrangements, no NOC from Fire Department • Use of domestic LPG cylinders for heating chemicals (violation of Essential Commodities Act) 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity Department was directed to disconnect electricity connections • All machinery and materials (approx. 25,000 jeans) videographed and handed over in custody • Action under Essential Commodities Act initiated by Supply Inspector, Sambhal Copy of inspection report annexed as ANNEXURE R-3.
Mohd. Imraan S/o Mohd. Rizwaan	Gram Ajijpur asadpur thana Hayatnagar	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 17.01.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected
Mohd. Tasleem S/o Mohd. Shareef	Mohalla Hayatnagar thana Hayatnagar	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 28.02.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected
Mohd. Faizal S/o Mohd. Nanhe	Mohalla and thana Hayatnagar	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 28.02.2025 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected



[Signature]
03.11.2025



प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

			<ul style="list-style-type: none"> • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	
M/s Black Turki Washing Plant	Behjoi road Hayatnagar		<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 25.02.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected
Mohd. Rizwan Ansari S/o Mohd. Rafi	Mohalla Hayatnagar Thana Hayatnagar		<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 08.01.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected
Shakeel S/o Mohd. Raees	Mohalla Hayatnagar Thana Hayatnagar		<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 02.01.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected
Mohd. Junaaid S/o Mohd. Shamshad	Mohalla Hayatnagar Thana Hayatnagar		<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 28.02.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was sealed and Electricity connection of the unit disconnected
Mohd. Ishteyaaq S/o Mohd. Mustaq	Mohalla Hayatnagar Thana Hayatnagar		<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 25.02.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit disconnected



[Signature]
03.11.2025

[Signature]

प्र. जलत मजिस्ट्रेट
सम्भल

	Hazi Shah Alam S/o Mohd. Kafil	Mohalla Katra Hayatnagar	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 08.01.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was sealed and Electricity connection of the unit disconnected
	Shakeel Ahmed S/o Mohd. Aleemuddin, Mohd. Talib S/o Mohd. Abdul Kalcem	Mohalla Sari Tareen thana Hayat Nagar	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was found non-operational during inspection • Unit did not submit any reply to the show cause notice dt. 10.02.2025 • Closure order dt. 04.08.2025 has been issued against the unit 	<ul style="list-style-type: none"> • Unit was sealed and Electricity connection of the unit disconnected
2.	29.07.2025	<p><i>Operator:</i> Mohd. Jamirul Haq, S/o Sheikh Jainul, R/o Fenhara, East Champaran (Bihar)</p>	<p>Mohalla Nala, Sambhal (Lat: 28.575571, Long: 78.570446)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Illegal extraction of groundwater • No pollution clearance; discharge of contaminated water into Mahishmati River • No valid tax registration • Violation of labour laws and safety norms- 6 Workers not registered in Labour Enforcement Office • Absence of fire safety arrangements, no NOC from Fire Department • Use of domestic LPG cylinders for heating chemicals (violation of Essential Commodities Act) 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory sealed and Electricity Department was directed to disconnect electricity connections • Equipment (approx. 3,000 jeans) videographed and handed over to representatives • Action under Essential Commodities Act initiated by Supply Inspector, Sambhal
	<p>i. Shri Salim, ii. Mukhtyar, iii. Chhaviram, iv. Mehrban, and Narayan, v. Rajesh Kumar, Hayatnagar) vi. 2 other unidentified</p>	<p>7 other jeans washing units near Saraswati Vidya Mandir School, Mohalla. Nala, and Mohalla. Hayatnagar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Most factories found closed/non-operational during inspection • Local residents informed that operations resume intermittently 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity Department was directed to disconnect electricity connections and to prevent illegal resumption of operations Copy of Inspection report annexed herewith




 जिला मजिस्ट्रेट
 सगभल

235

as ANNEXURE
R-4.

3. 04.08.2025

Operators: Anil Singh
and Mohammad
HashimNear Panjoo Sarai
Graveyard (Lat:
28.589123, Long:
78.57541)

- Illegal groundwater extraction, no NOC from GWD
- No pollution clearance- CTE/CTO
- No valid GST registration
- Unhygienic conditions, no first aid
- No fire safety arrangements, no NOC from Fire Department
- Use of domestic LPG cylinders for chemical heating, 3 gas cylinders, one gas stove, one gas burner found

- Factory immediately shut down
- Electricity Department was directed to disconnect electricity connections
- Equipment (approx. 2,500 jeans) videographed and handed over to operators
- The committee waited for about **45 minutes** for the **Supply Department team**, but they did not arrive at the site

Operator: Firoz

Near same area (Lat:
28.58967, Long:
78.575862)

- Unit found closed but suspected to operate earlier

- Electricity connection disconnected as preventive measure
- Copy of Inspection Report annexed herewith as ANNEXURE R-5.

4. 11.08.2025

Operators: Subhan &
Khalid (AtZ Jeans
Enterprises);Mohalla Hatim Sarai,
Hauj Bhade Sarai
(Lat: 28.591732,
Long: 78.568065)

- The main gate of the said factory was found locked from the outside, and a board displaying AtZ Jeans Enterprises was affixed on the gate, bearing GST No. 09ABWFA4434H122 and mobile number 8057187707.

- The electric connection of the said jeans washing plant was disconnected by the electricity department



[Signature]
03/11/2025

[Signature]
प्र. जिला मजिस्ट्रेट
राजभल

			<ul style="list-style-type: none"> • Upon contacting the given number, the jeans plant was opened for inspection. Inside the premises, washing machines and related equipment were found, though they were not in operation at that time. 		
	2 other factories belonging to Faizan & Zubair; one unknown operator in Timardas Sarai		<ul style="list-style-type: none"> • Illegal extraction of groundwater, No NOC from GWD • No pollution clearance, no CTE/ CTO • No valid GST registration • Unhygienic working conditions • Lack of fire safety measures, no NOC from fire department • Use of domestic LPG cylinders for heating (3 domestic cylinders, 1 gas stove, 2 gas burners) (violation of Essential Commodities Act) 	<ul style="list-style-type: none"> • All factories ordered closed • Electricity supply disconnected • Equipment (approx. 500 jeans) videographed and handed over • Directions issued to Supply Inspector to initiate actions under Essential Commodities Act Copy of Inspection Report is annexed herewith as ANNEXURE R-6. 	
	Operator: Unknown	Mohalla Hatim Sarai, Hauz Bhade Sarai at Latitude 28.592134 Longitude 78.568173	<ul style="list-style-type: none"> • Unit found closed but suspected to operate earlier 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection disconnected as preventive measure. 	
	Operator: Unknown	Mohalla Hatim Sarai, Hauz Bhade Sarai at Latitude 28.592149 Longitude 78.568156	<ul style="list-style-type: none"> • Unit found closed but suspected to operate earlier 	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection disconnected as preventive measure 	
5.	21.08.2025	Mohd. Junaid, S/o Mohd. Shamsad, R/o Mohalla Hayatnagar, Tehsil Sambhal	Road from Mohalla Hayatnagar to Hasanpur Munjabta (Lat: 28.555146, Long: 78.579331)	<ul style="list-style-type: none"> • Repair work ongoing. • Electricity supply earlier disconnected as per UPPCB order dated 04.08.2025. 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory sealed. • Power theft reported to JE (Electricity) for immediate action.



ofc
03/11/2025

A
जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

		<ul style="list-style-type: none"> • Illegal "katia" (direct) electricity connection detected. • Theft of electricity confirmed. 	<ul style="list-style-type: none"> • Directions issued for penal and departmental proceedings.
O.G. Jeans	Same road (towards Hasanpur Munjabta)	Found Closed; Electricity connection already disconnected	<ul style="list-style-type: none"> • No further action required; monitoring to continue.
Mohd. Kamil & Mohd. Ikram, R/o Saraitareen, Sambhal(Mob. 8430072062)	Same road (towards Hasanpur Munjabta)	Found Closed; Electricity connection already disconnected	<ul style="list-style-type: none"> • Premises kept under watch to prevent resumption.
Ishtekar, S/o Akhtar, R/o Turtipur Ilha	Village Turtipur Ilha, near power substation leading to Karbala, Ruknuddin Sarai(Lat: 28.587808, Long: 78.5467)	<ul style="list-style-type: none"> • Illegal groundwater extraction. • No consent from Pollution Control Board. • Discharge of contaminated water into fields. • No GST or fire safety noc 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory closed on spot. • Electricity supply disconnected. • Illegal reconnection reported; departmental action initiated.
Yakub, S/o Mohd. Faizan, R/o Deepa Sarai	Same site	<ul style="list-style-type: none"> • Same violations as above (illegal water use, no consent; CTE/CTO, unhygienic premises). 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory closed. • Power line disconnected. • Action initiated under relevant environmental laws
Bilal, S/o Anwar, R/o Turtipur Ilha	Same site	<ul style="list-style-type: none"> • Illegal groundwater extraction. • Chemical mixing without authorization. • No fire or first-aid arrangement. 	Clearances obtained
Safdar, S/o Akbar, R/o Turtipur Ilha, and Imran, S/o Islam, R/o Khanupur Band	Same site	<ul style="list-style-type: none"> • One tube well found installed (claimed for irrigation but used for jeans washing). • Electricity theft detected. 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory sealed. • Electricity re-disconnection ensured. • Instructions issued for



ofey
03.11.2025



प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

			• No pollution or groundwater clearance.	prosecution for electricity theft	
	Azeemurrahman, S/o Sagir Ahmad, R/o Deepa Sarai	Same site	Found Closed	• Electricity disconnected. • Continued monitoring directed.	
	Margoob, S/o Maqsood, R/o Nahar Dher	Same site	Found Closed	• Electricity disconnected. • Preventive sealing ensured Copy of the inspection report is annexed herewith as ANNEXURE R-7.	
6.	25.08.2025	<i>Operator:</i> Mohd. Monis, S/o Riazuddin	Mohalla Mandi Kishandas Sarai (Lat: 28.580366, Long: 78.582518)	<ul style="list-style-type: none"> • Illegal extraction of groundwater • No consent from Pollution Control Board • No registration under tax laws • Unhygienic and unsafe working environment • No fire safety measures • Use of domestic & commercial LPG cylinders for chemical heating (violation of Essential Commodities Act) 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory immediately closed • Electricity disconnected • Equipment (approx. 3,000 jeans) videographed and handed over • Action initiated under Essential Commodities Act Copy of the inspection report is annexed herewith as ANNEXURE R-8.
7.	26.08.2025	i. Vilal ii. Fateh Mohd. iii. Hazi Farchand iv. Salim v. Razi vi. Shane Alam vii. Faizan viii. Rafi	Mohd. Sarayatrin, Lalki, i. Latitude 28.553427 Longitude 78.559246 ii. Latitude 28.553449	During the inspection, the units were found to be closed, and neither the proprietor nor any representative of the units was present at the site. Local residents informed during the inspection that	• Electricity connection of the units were disconnected



03.11.2025

प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

	ix. Tahir		iii. Longitude 78.559038 Latitude 28.553594 iv. Longitude 78.558919 Latitude 28.553752 v. Longitude 78.558734 Latitude 28.554897 vi. Longitude 78.55928 Latitude 28.553854 vii. Longitude 78.558746 Latitude 28.554468 viii. Longitude 78.560151 Latitude 28.555154 Longitude 78.559521	the said units had been operational in the past days but has remained closed for the past few days.	
8.	11.09.2025	Sanjay Yadav R/o Bhailai, District Madapur (Bihar)	Mohd Mehmood Khan Sarai, Latitude 28.581405 Longitude 78.561737	During the inspection, the unit was found to be closed, and neither the proprietor nor any representative of the unit was present at the site. Local residents informed during the inspection that the said unit had been operational in the past days but has remained closed for the past few days.	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity connection of the unit was disconnected
9.	05.10.2025	Operators: Danish & Farman, S/o Raza Ali	D.R.S. Enterprises, Village Naharhair, P.S. Raisatti, Sambhal	<ul style="list-style-type: none"> • Illegal groundwater extraction • No consent from Pollution Control Board • No valid GST registration (though GSTIN board displayed) • Unhygienic premises 	<ul style="list-style-type: none"> • Factory sealed and power disconnected • All machinery and approx. 5,000 jeans inventoried • Equipment handed over to



S. P. S. S. S.
03.11.2025

क्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

- Heating chemicals with electric rod causing odour/pollution
- Operation using electricity and generator

Hilal (local custodian)
Copy of the inspection report is annexed herewith as ANNEXURE R-9

14. That the District Administration, Sambhal, remains committed to ensuring full compliance with the directions issued by the Hon'ble Tribunal.

15. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.



DEPONENT

प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

VERIFICATION

Verified at SAMBHAL on this 3rd day of November, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Pradeep Verma
In charge of M. Sambhal
Personally known
03/11/2025



DEPONENT

प्र. जिला मजिस्ट्रेट
सम्भल



Madhav
Notary Public SAMBHAL
03/11/2025

03.11.2025

संख्या: 181/रीडर/2025 दिनांक- 03.07.2025

जिलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि कतिपय माध्यमों से अधोहस्ताक्षरी को सूचना प्राप्त हुई कि नगर सम्भल में सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल के पास चन्दौसी रोड, सम्भल एवं मो. नाला, सम्भल एवं इससे आगे हयातनगर रोड पर काफी बड़ी संख्या में जीस के कारखाने अवैध रूप संचालित हैं तथा इनसे प्रदूषण फैल रहा है। तत्कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निम्नलिखित जीस के कारखानों का निरीक्षण किया गया।


1. श्री सालिम पुत्र शब्बीर निवासी फतेहउल्ला सराय द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित चन्दौसी रोड, सम्भल। अक्षांतर 28.581938 देशांतर 78.584487
2. श्री विजय ठाकुर पुत्र श्री सर्वेश ठाकुर निवासी संतनगर, दिल्ली द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575417 देशांतर 78.570340
3. श्री मुख्तार पुत्र बन्ने निवासी वैलकम, दिल्ली द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575663 देशांतर 78.570599
4. श्री छविराम यादव पुत्र कन्हई निवासी हुसैनपुर भूड़, सम्भल द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575573 देशांतर 78.570578
5. श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह निवासी मौंठ तहसील झांसी द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575568 देशांतर 78.571232
6. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम निवासी ताखेपुरवा, कन्नौज एवं श्री फखरे आलम निवासी गौमतपुर, सम्भल द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575265 देशांतर 78.570748
7. श्री राजेन्द्र पुत्र झीनन प्रसाद यादव निवासी जनपद बलरामपुर उ.प्र. एवं बब्लू कासिम निवासी सम्भल द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. चौधरी सराय से हयातनगर को जाने वाले ग्रामीण मार्ग माहिस्मति नदी के किनारे, सम्भल। अक्षांतर 28.567779 देशांतर 78.575188
8. श्री संतोष पुत्र गंगा साहब निवासी कटिहार, बिहार एवं मो. कामिल निवासी छोटा हसनपुर द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. चौधरी सराय से हयातनगर को जाने वाले ग्रामीण मार्ग माहिस्मति नदी के किनारे, सम्भल। अक्षांतर 28.557041 देशांतर 78.581153

उपर्युक्त समस्त कारखानों पर निरीक्षण के समय कारखानों के संचालन सम्बन्धी कोई भी अभिलेख, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। इन कारखानों में मौके पर घरेलू सिलेण्डर प्रयोग में लाये जा रहे थे, जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर कारखाने आवासीय क्षेत्रों में पाये गये, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इन कारखानों में हानिकारक कैमिकल बड़ी संख्या में प्रयोग में लाया जा रहा है, जिससे इन कारखानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं आस-पास निवासित व्यक्तियों के जीवन पर कैमिकल से दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इन कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों को विद्युत से संचालित किया जाता है, जिससे विद्युत चोरी की प्रबल सम्भावना है। इन सभी कारखानों द्वारा कारखाने का कैमिकल के दूषित पानी को सीधे महिष्मति नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे महिष्मति नदी वर्तमान में प्रदूषित हो रही है तथा अनकों कारखानों द्वारा कैमिकल से दूषित पानी को सीधे नालियों के माध्यम से भूमि में जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त महोदय के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना है कि निरीक्षण के दौरान स्थानीय

व्यक्तियों द्वारा इन कारखानों का विरोध करते हुए अवगत कराया गया कि इस प्रकार के लगभग 50-100 कारखाने नगर सम्मल के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित हैं, जिनके संचालन से स्थानीय लोगों के जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

उपर्युक्त निरीक्षण में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी कारखाने एवं स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्रकार के 50-100 जींस की वाशिंग के कारखाने नगर सम्मल में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनसे महिष्मति नदी एवं नाले कैमिकल द्वारा प्रदूषित किये जा रहे हैं। साथ ही इन कारखानों के अवैध संचालन से राज्य सरकार को भी राजस्व क्षति हो रही है। इस कारण इन कारखानों को सम्बन्धित विभाग (जी.एस.टी., प्रदूषण नियंत्रण विभाग, विद्युत विभाग, भूगर्भ जल विभाग आदि) की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराने के उपरांत इन कारखानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(सुधीर कुमार),
नगर मजिस्ट्रेट,
सम्मल।



पी.एम. सूर्यधर मुफ्त बिजली योजना

श्री अन्न योजना

निपुण सम्भल

तिथि भोजन

टी.वी. मुक्त भारत

कार्यालय जिलाधिकारी सम्भल (बहजोई)।

संख्या:- 487 /आ.लि.-अ.जि.स.

दिनांक:- 17 जुलाई, 2025

आदेश

नगर मजिस्ट्रेट-सम्भल द्वारा अपनी आख्या संख्या-181/रीडर/2025, दिनांक-03.07.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कतिपय माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई कि नगर सम्भल में सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल के पास चन्दौसी रोड, सम्भल एवं मो. नाला, सम्भल एवं इससे आगे हयातनगर रोड पर काफी बड़ी संख्या में जींस के कारखाने अवैध रूप संचालित हैं तथा इनसे प्रदूषण फैल रहा है। तत्क्रम में क्षेत्रीय लेखपाल के साथ निम्नलिखित जींस के कारखानों का निरीक्षण किया गया-

- 1- श्री सालिम पुत्र शब्बीर निवासी फतेहउल्ला सराय द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित चन्दौसी रोड, सम्भला अक्षांतर 28.581938 देशांतर 78.584487
- 2- श्री विजय ठाकुर पुत्र श्री सर्वेश ठाकुर निवासी संतनगर, दिल्ली द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भला अक्षांतर 28.575417 देशांतर 78.570340
- 3- श्री मुख्त्यार पुत्र बन्ने निवासी वैलकम, दिल्ली द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भला अक्षांतर 28.575663 देशांतर 78.570599
- 4- श्री छविराम यादव पुत्र कन्हई निवासी हुसैनपुर भूड, सम्भल द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भला अक्षांतर 28.575573 देशांतर 78.570578
- 5- श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह निवासी मौंठ तहसील झांसी द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भला अक्षांतर 28.575568 देशांतर 78.571232
- 6- श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम निवासी ताखेपुरवा, कन्नौज एवं श्री फखरे आलम निवासी गौमतपुर, सम्भल द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भला अक्षांतर 28.575265 देशांतर 78.570748
- 7- श्री राजेन्द्र पुत्र झीनन प्रसाद यादव निवासी जनपद बलरामपुर उ.प्र. एवं बब्लू कासिम निवासी सम्भल द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. चैधरी सराय से हयातनगर को जाने वाले ग्रामीण मार्ग माहिस्मति नदी के किनारे, सम्भला अक्षांतर 28.567779 देशांतर 78.575188
- 8- श्री संतोष पुत्र गंगा साहब निवासी कटिहार, बिहार एवं मो. कामिल निवासी छोटा हसनपुर द्वारा संचालित जींस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. चैधरी सराय से हयातनगर को जाने वाले ग्रामीण मार्ग माहिस्मति नदी के किनारे, सम्भला अक्षांतर 28.557041 देशांतर 78.581153

उपर्युक्त समस्त कारखानों पर निरीक्षण के समय कारखानों के संचालन सम्बन्धी कोई भी अभिलेख, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। इन कारखानों में मौंके पर घरेलू सिलेण्डर प्रयोग में लाये जा रहे थे, जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त इनमें से अधिकतर कारखाने आवासीय क्षेत्रों में पाये गये, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इन कारखानों में हानिकारक कैमिकल बड़ी संख्या में प्रयोग में लाया जा रहा है, जिससे इन कारखानों में कार्य कर रहे व्यक्तियों एवं आस-पास निवासित व्यक्तियों के जीवन पर कैमिकल से दुष्प्रभाव पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। इसके अतिरिक्त इन कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों को विद्युत से संचालित किया जाता है, जिससे विद्युत चोरी की प्रबल सम्भावना है। इन सभी कारखानों द्वारा कारखाने का कैमिकल के दूषित पानी को सीधे महिष्मति नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे महिष्मति नदी वर्तमान में प्रदूषित हो रही है तथा अनकों कारखानों द्वारा कैमिकल से दूषित पानी को सीधे नालियों के माध्यम से भूमि में जा रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान स्थानीय व्यक्तियों द्वारा इन कारखानों का विरोध करते हुए अवगत कराया गया कि इस प्रकार के लगभग 50-100 कारखाने नगर सम्भल के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित हैं, जिनके संचालन से स्थानीय लोगों के जन-जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

Leads

21-7-25 mt

Uw Anant
8/11/25

196



उपर्युक्त निरीक्षण में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी कारखाने एवं स्थानीय लोगों के अनुसार इस प्रकार के 50-100 जींस की वाशिंग के कारखाने नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनसे महिष्मति नदी एवं नाले कैमिकल द्वारा प्रदूषित किये जा रहे हैं। साथ ही इन कारखानों के अवैध संचालन से राज्य सरकार को भी राजस्व क्षति हो रही है। इस कारण इन कारखानों को सम्बन्धित विभाग (जी.एस.टी., प्रदूषण नियंत्रण विभाग, विद्युत विभाग, भूगर्भ जल विभाग आदि) की संयुक्त टीम गठित कर जांच कराने के उपरांत इन कारखानों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

अस्तु नगर मजिस्ट्रेट, सम्भल द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त आख्या के क्रम में उपर्युक्तानुसार नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित कारखानों की जांच हेतु निम्न समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|--|---------|
| 1- नगर मजिस्ट्रेट, सम्भल:- | अध्यक्ष |
| 2- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि:- | सदस्य |
| 3- उपायुक्त (राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल:- | सदस्य |
| 4- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल:- | सदस्य |
| 5- श्री जितेन्द्र शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, सम्भल:- | सदस्य |
| 6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्भल:- | सदस्य |

उक्त जांच समिति उपर्युक्तानुसार नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित कारखानों की उपर्युक्त आख्या में उल्लिखित समस्त तथ्यों के अनुसार जांच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी।

(डॉ. राजेन्द्र पैसिया)

जिलाधिकारी,

सम्भल।

संख्या एवं तिथि:- यथोक्त।

प्रतिलिपि:-

- 1- उपर्युक्त नामित समस्त अधिकारीगण को उपर्युक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्तानुसार जांच हेतु किसी प्रतिनिधि को नामित करते हुए, उनको अपने स्तर से जांच कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा अधोहस्ताक्षरी एवं समिति में नामित समस्त अधिकारीगण को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी,

सम्भल।

संख्या: 200 / रीडर / 2025 दिनांक- 21.07.2025

जिलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जींस कारखानों की जांच हेतु निम्न समिति गठित की गयी है:-

1-नगर मजिस्ट्रेट, सम्भल	अध्यक्ष
2-क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3-उपायुक्त (राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल	सदस्य
4-अधिकासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल	सदस्य
5-श्री जितेन्द्र शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, सम्भल	सदस्य
6-अधिकासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सम्भल	सदस्य

उपर्युक्त आदेश के क्रम में गठित समिति द्वारा आज दिनांक 21.07.2025 को समय लगभग 01:00 बजे हयातनगर से हसनपुर मुनजब्जा जाने वाले मार्ग पर अवस्थित अक्षांतर 28.557425 देशांतर 78.576751 जींस कारखाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री कासिम मौके पर उपस्थित नहीं मिले। कारखाने में इनके प्रतिनिधि के रूप में श्री बिलाल पुत्र श्री रियासत निवासी छोटा हसनपुर(हसनपुर मुनजब्जा), सम्भल, मो.नं.- 8936978611, श्री कासिम पुत्र श्री नन्हे निवासी छोटा हसनपुर(हसनपुर मुनजब्जा), सम्भल, मो.नं.-8383813731 एवं श्री मोनिस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मो. बरखेरियान, सरायतरीन, सम्भल एवं कारखाने में कार्य कर रहे 20-25 मजदूर उपस्थित मिले। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह जींस कारखाना श्री कासिम पुत्र श्री नन्हे निवासी हसनपुर मुनजब्जा तहसील व जिला सम्भल मो.नं.-9557984073 द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जींस कारखाने के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, सम्भल/नोडल अधिकारी, भू-गर्भ जल विभाग, सम्भल द्वारा इकाई का निरीक्षण कर अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जींस कारखाने में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जींस कारखाने द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है।
2. श्री अनिल कुमार, एस.ए. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जींस कारखाने द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वांशिक के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे नाली के माध्यम से महिस्मति नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार कारखाने में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।
3. श्री ऋषिपाल सिंह, सी.टी.ओ.(राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जींस कारखाना द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि श्री बिलाल आदि द्वारा अवगत कराया गया कि सी.जी.एस.टी. में पंजीकरण कराया गया है। परन्तु मौके पर इकाई के पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी बोर्ड कारखाने के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित स्थल पर नहीं लगाया गया है, जो कि विधि सम्मत नहीं है। कारखाना संचालक का यह कृत्य जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है।

W

4. उपर्युक्त जीस कारखाना में कार्य कर रहे 20-25 मजदूरों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जीस कारखाने के संचालक द्वारा उनका श्रम प्रवर्तन कार्यालय में कोई भी पंजीकरण नहीं कराया गया है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी मजदूर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से अपने हाथों में ग्लब्स एवं मुंह पर मास्क आदि लगाया हुआ नहीं पाया गया तथा जीस कारखाने में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी। इस कारण जीस कारखाने के संचालक द्वारा कार्य कर रहे मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
5. उपर्युक्त जीस कारखाने में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं लगे पाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अग्निशमन विभाग की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जीस कारखाने में जहां मशीने संचालित हो रही हैं, वहां पर रोशनी हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं।
6. उपर्युक्त जीस कारखाने में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग केमिकल को गर्म करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक, सम्भल मौके पर उपस्थित हुए तथा कारखाना संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

जीस कारखाने में उपर्युक्त अनियमितताएं पाये जाने पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीस कारखाना श्री कासिम पुत्र श्री नन्हे निवासी हसनपुर मुनजब्ता तहसील व जिला सम्भल मो.नं.-9557984073 द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मौके पर जीस कारखाना अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीस कारखाना का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को निर्देशित किया गया कि वह इस कारखाना के विद्युत कनेक्शन संचालक द्वारा समिति के समक्ष वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दें। मौके पर कारखाने में पाये गये सभी उपकरणों (मशीनों, जनरेटर एवं इनवर्टर, लगभग 25 हजार जीस आदि) को वीडियोग्राफी कराकर प्रतिनिधि श्री बिलाल पुत्र श्री रियासत निवासी छोटा हसनपुर(हसनपुर मुनजब्ता), सम्भल, मो.नं.-8936978611, श्री कासिम पुत्र श्री नन्हे निवासी छोटा हसनपुर(हसनपुर मुनजब्ता), सम्भल, मो.नं.-8383813731 एवं श्री मोनिस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मो. बरखेरियान, सरायतरीन, सम्भल की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह उपर्युक्त सामान को सुरक्षित रखेंगे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Amul
21.7.25
(Amul Kumar)
Scientific Assn,
UPRCB MBP

Jitendra Kumar Sharma
(Jitendra Kumar Sharma)
A.E.M.I./Nodal G.W.D.
Sambhal

Pishu Pal
राज्य मंत्रालय
20/07/25
ए.ए. - 1 सम्भल

Q
21.07.2025
EO NPP(S)

Not
(Maven/Labour)
EE: EO-D. Sambhal

h
21/7/25
city magistrate
Sambhal

संख्या: 218/रीडर/2025 दिनांक- 29.07.2025

लाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जीस कारखानों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 29.07.2025 को समय लगभग 12:30 बजे मोहल्ला नाला, सम्भल, थाना-सम्भल में अवस्थित अक्षांतर 28.575571 देशांतर 78.570446 जीस वाशिंग प्लांट कारखाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर उक्त कारखाने के संचालक-मो. जमिरूल हक पुत्र शेख जैनुल निवासी ग्राम फेनहारा जनपद-ईस्ट चम्पारण(बिहार) एवं मो. शादिक अनवर पुत्र मो. अमीरूल हक, निवासी बी-323, लाल बाग, अजादपुर, नई सब्जी मण्डी, उत्तर पश्चिमी, दिल्ली, 110033 एवं कारखाने में कार्य कर रहे 6 अन्य मजदूर उपस्थित मिले। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह जीस कारखाना मो. जमिरूल हक पुत्र शेख जैनुल निवासी ग्राम फेनहारा जनपद-ईस्ट चम्पारण(बिहार) मो.नं.-9911233546 द्वारा परिसर को किराये पर लेकर संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जीस कारखाने के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ल, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, सम्भल/नोडल अधिकारी, भू-गर्भ जल विभाग, सम्भल द्वारा इकाई का निरीक्षण कर अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीस कारखाने में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जीस कारखाने द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है।
2. श्री अतुल कुमार, जे.आर.एफ. एवं श्री आसिफ अली, जे.एल.ए., प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीस कारखाने द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वांशिग के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे पाईप के माध्यम से महिष्मति नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार कारखाने में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।
3. श्री ऋषिपाल सिंह, सी.टी.ओ.(राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीस कारखाना द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. उपर्युक्त जीस कारखाना में कार्य कर रहे 6 मजदूरों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि जीस कारखाने के संचालक द्वारा उनका श्रम प्रवर्तन कार्यालय में कोई भी पंजीकरण नहीं कराया गया है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इकाई में अत्याधिक गन्दगी पाई गयी। इसके अतिरिक्त कोई भी मजदूर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से अपने हाथों में ग्लब्स एवं मुंह पर मास्क आदि लगाया हुआ नहीं पाया गया तथा जीस कारखाने में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी। इस कारण जीस कारखाने के संचालक द्वारा कार्य कर रहे मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
5. उपर्युक्त जीस कारखाने में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं लगे पाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित संचालक मो. जमिरूल हक द्वारा अग्निशमन विभाग की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जीस कारखाने में जहां मशीने संचालित हो रही हैं, वहां पर रोशनी हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किये गये हैं।
6. उपर्युक्त जीस कारखाने में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग केमिकल को गर्म करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में पूर्ति



निरीक्षक, सम्भल मौके पर उपस्थित हुए तथा कारखाना संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।

जीस कारखाने में उपर्युक्त अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट कारखाना मो. जमिरूल हक पुत्र शेख जैनुल निवासी ग्राम फेनहारा जनपद-ईस्ट चम्पारण(बिहार) मो.नं.-9911233546 द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मौके पर जीस कारखाना अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीस कारखाना का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को निर्देशित किया गया कि वह इस कारखाना के विद्युत कनेक्शन संचालक द्वारा समिति के समक्ष वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दें। मौके पर कारखाने में पाये गये सभी उपकरणों (मशीनों, जनरेटर एवं इनवर्टर, लगभग 3 हजार जीस आदि) को वीडियोग्राफी कराकर संचालक-मो. जमिरूल हक पुत्र शेख जैनुल निवासी ग्राम फेनहारा जनपद-ईस्ट चम्पारण(बिहार) एवं मो. शादिक अनवर पुत्र मो. अमीरूल हक, निवासी बी-323, लाल बाग, अजादपुर, नई सब्जी मण्डी, उत्तर पश्चिमी, दिल्ली, 110033 की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह उपर्युक्त सामान को सुरक्षित रखेंगे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे। इसके पश्चात मो. हयातनगर, मो. नाला एवं चन्दौसी रोड पर सरस्वती विद्या मन्दिर, स्कूल के निकट निम्नलिखित कुल 07 अन्य जीस वाशिंग प्लांट के निरीक्षण हेतु गठित समिति पहुँची:-

1. श्री सालिम पुत्र शब्बीर निवासी फतेहउल्ला सराय द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित चन्दौसी रोड, सम्भल। अक्षांतर 28.581938 देशांतर 78.584487
2. श्री मुख्तार पुत्र बन्ने निवासी वैलकम, दिल्ली द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575663 देशांतर 78.570599
3. श्री छविराम यादव पुत्र कन्हई निवासी हुसैनपुर भूड, सम्भल द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575573 देशांतर 78.570578
4. श्री मेहरबान एवं श्री नारायण पुत्रगण श्री सुख सिंह निवासी मौँठ तहसील झांसी द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575568 देशांतर 78.571232
5. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री बालकराम निवासी ताखेपुरवा, कन्नौज एवं श्री फखरे आलम निवासी गौमतपुर, सम्भल द्वारा संचालित जीस की वाशिंग का कारखाना स्थित मो. नाला, सम्भल। अक्षांतर 28.575265 देशांतर 78.570748
6. मो. हयातनगर में संचालित 2 जीस की वाशिंग का कारखाना। अक्षांतर 28.552359 देशांतर 78.57182(एक जीस वाशिंग प्लांट को मौके पर हटाया जा रहा था, मौके पर सभी मशीने एवं अन्य उपकरण हटाये जा रहे थे तथा दूसरा वाशिंग प्लांट मौके पर बन्द पाया गया)

उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट मौके पर बन्द पाये गये। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जीस वाशिंग प्लांट के संचालक उक्त प्लांट को आज बन्द कर दिया गया है परन्तु जीस कारखाना संचालित है। ऐसी स्थिति में मौके पर उपर्युक्त सभी जीस वाशिंग प्लांट के कारखानों की विद्युत लाईन विद्युत विभाग द्वारा कटवा दी गई, ताकि उपर्युक्त जीस कारखाने संचालित न हो सकें।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rishi Pal
ST-01
29-07-2025
A.E.M.I./G.W.D. Nodal
Sambhal

Abhayan
JCA
UPPCB MBD (Dr. ATUL KUMAR)
8439531530
UPPCB, Moradabad
9675528012

29/7/25
city Mty.

EO SAMBHAL
29.07.2025

Shard
2E
Satus chond
2E (UPPCB)
9193300448

जिलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जीस कारखानों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 04.08.2025 को समय लगभग 02:30 बजे मोहल्ला पंजू सराय कब्रिस्तान वाले मार्ग पर अवस्थित अक्षांतर 28.589123 देशांतर 78.57541 जीस वाशिंग प्लांट कारखाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर उक्त कारखाने का मुख्य गेट बंद मिला, जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था, परन्तु गेट के अन्दर झांकने पर एक व्यक्ति अन्दर उपस्थित था। इस प्रकार यह जीस वाशिंग प्लांट गेट पर बाहर से ताला लगाकर अन्दर संचालित मिला। मौके पर कारखाने में श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह निवासी ग्राम ताजुद्दीन थाना महाराजगंज जिला रायबरेली मो.नं.-7668278032 एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र बाबू निवासी मो. चौधरी सराय, चारा मंडी, तहसील व जिला सम्भल मो.नं.-7906288168 उपस्थित मिले। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह जीस कारखाना इनके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जीस कारखाने के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. उपर्युक्त जीस कारखाने में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जीस कारखाने द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है।
2. उपर्युक्त जीस कारखाने द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वाशिंग के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे पाईप के माध्यम से महिष्मति नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार कारखाने में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।
3. श्री ऋषिपाल सिंह, सी.टी.ओ.(राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीस कारखाना द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. उपर्युक्त जीस कारखाना में अत्याधिक गन्दगी पाई गयी। इसके अतिरिक्त जीस कारखाने में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी।
5. उपर्युक्त जीस कारखाने में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं लगे पाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह निवासी ग्राम ताजुद्दीन थाना महाराजगंज जिला रायबरेली मो.नं.-7668278032 एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र बाबू निवासी मो. चौधरी सराय, चारा मंडी, तहसील व जिला सम्भल मो.नं.-7906288168 द्वारा अग्निशमन विभाग की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. उपर्युक्त जीस कारखाने में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग केमिकल को गर्म करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए का उल्लंघन है। मौके पर 03 घरेलू सिलेण्डर, एक गैस चूल्हा तथा एक गैस वर्नर पाये गये, जो प्रथम दृष्ट्या केमिकल को गर्म करने के प्रयोगार्थ रखे पाये गये। इस सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक, सम्भल को कारखाना संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जीस कारखाने में उपर्युक्त अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट कारखाना श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह निवासी ग्राम ताजुद्दीन



थाना महाराजगंज जिला रायबरेली मो.नं.-7668278032 एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र बाबू निवासी मो. चौधरी सराय, चारा मंडी, तहसील व जिला सम्भल मो.नं.-7906288168 द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मौके पर जीस कारखाना अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीस कारखाना का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को निर्देशित किया गया कि वह इस कारखाना के विद्युत कनेक्शन संचालक द्वारा समिति के समक्ष वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दें। मौके पर कारखाने में पाये गये सभी उपकरणों (मशीनों, जनरेटर एवं इनवर्टर, लगभग 2500 जीस आदि) को वीडियोग्राफी कराकर श्री अनिल सिंह पुत्र श्री शुभंकर सिंह निवासी ग्राम ताजुद्दीन थाना महाराजगंज जिला रायबरेली मो.नं.-7668278032 एवं मौहम्मद हाशिम पुत्र बाबू निवासी मो. चौधरी सराय, चारा मंडी, तहसील व जिला सम्भल मो.नं.-7906288168 की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह उपर्युक्त सामान को सुरक्षित रखेंगे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे। पूर्ति विभाग की टीम का लगभग 45 मिनट तक इन्तजार किया गया परन्तु पूर्ति विभाग की टीम मौके पर उपस्थित नहीं हुई। इसके पश्चात इस कारखाने के पास अक्षांतर 28.58967 देशांतर 78.575862 पर अवस्थित 01 अन्य जीस वाशिंग प्लांट के निरीक्षण हेतु गठित समिति पहुँची, तो उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट मौके पर बन्द पाया गया। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जीस वाशिंग प्लांट के संचालक फिरोज हैं तथा उक्त प्लांट एक-दो दिन पूर्व बन्द किया गया है परन्तु जीस कारखाना संचालित है। ऐसी स्थिति में मौके पर उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट के कारखाने की विद्युत लाईन विद्युत विभाग द्वारा कटवा दी गई, ताकि उपर्युक्त जीस कारखाने संचालित न हो सके।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

4/8/25
E. K. M.

(S. T. O. / Nodal G. D.)
A. E. M. D.

S. T. O.

Rishabh Kumar
S. T. O.

S. T. O.
H. M. D.

JE

Amar Kumar Goyal

33/11/KVS/LS
Ruisatti

Andy
4/8/25
(Anil Kumar)
S. T. O.
UPP CR. M. D.

जिलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जींस कारखानों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 11.08.2025 को समय लगभग 02:30 बजे मोहल्ला हातिम सराय, हौज भदे सराय में अक्षांतर 28.591732 देशांतर 78.568065 अवस्थित जींस वाशिंग प्लांट कारखाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर उक्त कारखाने का मुख्य गेट बंद मिला, जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। मुख्य गेट पर AtZ Jeans Enterprises का बोर्ड लगा था, जिस पर जी.एस.टी. संख्या 09ABWFA4434H122 एवं मो.नं.- 8057187707 अंकित था। मो.नं. पर संपर्क कर जींस प्लांट को खुलवाकर देखा गया। उक्त जींस प्लांट में वाशिंग की मशीनें एवं उपकरण मिले, जो मौके पर बन्द थे। उपस्थित व्यक्तियों ने अवगत कराया कि इस जींस वाशिंग प्लांट के मालिक श्री सुबहान पुत्र श्री अब्दुल कययूम निवासी कटरा मूसा खां, मियां सराय, सम्भल एवं मो. खालिद पुत्र श्री अब्दुल कययूम निवासी कटरा मूसा खां, मियां सराय, सम्भल हैं तथा विगत 10-15 दिन से बन्द है। ऐसी स्थिति में मौके पर उपर्युक्त जींस वाशिंग प्लांट के कारखाने की विद्युत लाईन विद्युत विभाग द्वारा कटवा दी गई, ताकि उपर्युक्त जींस प्लांट संचालित न हो सके। इसके पश्चात इसी क्षेत्र में संचालित दो अन्य जींस वाशिंग प्लांटों का निरीक्षण किया गया, जो मौके पर बन्द मिले। इनके सम्बन्ध में स्थानीय व्यक्तियों से पूछा गया तो मौके पर किसी व्यक्ति ने इनके मालिक का नाम व पता नहीं बताया। ऐसी स्थिति में मौके पर उपर्युक्त जींस वाशिंग प्लांट के कारखाने की विद्युत लाईन विद्युत विभाग द्वारा कटवा दी गई, ताकि उपर्युक्त जींस वाशिंग प्लांट संचालित न हो सके। इसके पश्चात मो. तिमरदास सराय, बंगले वाली मस्जिद के पास एक गली के अन्दर स्थापित जींस वाशिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया। मौके पर इस वाशिंग प्लांट का मुख्य गेट बन्द पाया गया, परन्तु परिसर के अन्दर से मशीनों की आवाज आ रही थी। तदुपरांत विद्युत कर्मचारी ने परिसर की दीवार जो 7-8 फिट ऊँची थी, पर चढ़कर देखा तो परिसर के अन्दर दो-तीन व्यक्ति कार्य कर रहे थे। इन व्यक्तियों से गेट खोलने को कहा तो इनके द्वारा गेट नहीं खोला गया। ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को गेट खोलने को कहा। लगभग 20-25 मिनट इंतजार करने के पश्चात एक व्यक्ति मो. मुनाजिर पुत्र श्री निजामुद्दीन निवासी मो. तिमरदास सराय, सम्भल ने उपस्थित होकर मुख्य गेट का ताला खोला। इस प्रकार यह जींस वाशिंग प्लांट गेट पर बाहर से ताला लगाकर अन्दर संचालित मिला। मो. मुनाजिर द्वारा अवगत कराया गया कि इस जींस कारखाने के मालिक श्री फ़ैजान पुत्र शेर अली निवासी मो. चमन सराय, सम्भल एवं जुबैर हैं। यह जींस कारखाना इनके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जींस कारखाने के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. उपर्युक्त जींस कारखाने में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जींस कारखाने द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है।
2. उपर्युक्त जींस कारखाने द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वाशिंग के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे पाईप के माध्यम से नालियों

✓

में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार कारखाने में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।

3. श्री ऋषिपाल सिंह, सी.टी.ओ.(राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीन्स कारखाना द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. उपर्युक्त जीन्स कारखाना में अत्याधिक गन्दगी पाई गयी। इसके अतिरिक्त जीन्स कारखाने में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी।
5. उपर्युक्त जीन्स कारखाने में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं लगे पाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित अग्निशमन विभाग की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. उपर्युक्त जीन्स कारखाने में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग केमिकल को गर्म करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए का उल्लंघन है। मौके पर 03 घरेलू सिलेण्डर, एक गैस चूल्हा तथा दो गैस वर्नर पाये गये, जो प्रथम दृष्टया केमिकल को गर्म करने के प्रयोगार्थ रखे पाये गये। इस सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक, सम्भल को कारखाना संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जीन्स कारखाने में उपर्युक्त अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीन्स वाशिंग प्लांट कारखाना श्री फैजान पुत्र शेर अली निवासी मो. चमन सराय, सम्भल एवं जुबैर द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मौके पर जीन्स कारखाना अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीन्स कारखाना का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को निर्देशित किया गया कि वह इस कारखाना के विद्युत कनेक्शन संचालक द्वारा समिति के समक्ष वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दें। मौके पर कारखाने में पाये गये सभी उपकरणों (मशीनों, इनवर्टर, अन्य उपकरण एवं लगभग 500 जीन्स आदि) को वीडियोग्राफी कराकर मो. मुनाजिर पुत्र श्री निजामुद्दीन निवासी मो. तिमरदास सराय, सम्भल मो. नं.-9870896415 एवं श्री फैजान पुत्र शेर अली निवासी मो. चमन सराय, सम्भल की माता श्रीमती महताब की सुपुर्दगी में इस निर्देश के साथ दिया गया कि वह उपर्युक्त सामान को सुरक्षित रखेंगे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे। पूर्ति विभाग की टीम का लगभग 30 मिनट तक इन्तजार किया गया परन्तु पूर्ति विभाग की टीम मौके पर उपस्थित नहीं हुई। ऐसी स्थिति में मो. मुनाजिर को निर्देशित किया गया कि पूर्ति विभाग की टीम के आने पर जीन्स वाशिंग प्लांट में केमिकल का गर्म करने के उपयोगार्थ रखे पाये गये 03 घरेलू सिलेण्डर, एक गैस चूल्हा तथा दो गैस वर्नर को यथा स्थिति जिला पूर्ति विभाग की टीम को सुपुर्द करायेंगे।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(
(Anand Kumar Shukla)
A.R.M. D / Nodal C.I.L.D.
Sambhal

(
JE
Amar Nath Goud
33/111KVS/15
Raiesahi

(
11/01/20
City M.Y.

(
राजेंद्र कुमार
2405-1/सम्भल

(
ANIL
CUPBEB, MB))

संख्या: 269/रीडर/2025 दिनांक- 21.08.2025

जलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जींस कारखानों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 21.08.2025 को समय लगभग 11:15 बजे मोहल्ला हयातनगर से हसनपुर मुन्जब्ता जाने वाले मार्ग पर अक्षांतर 28.555146 देशांतर 78.579331 अवस्थित मो. जुनैद पुत्र मो. शमशाद निवासी मो. हयातनगर तहसील सम्भल द्वारा संचालित जींस वाशिंग प्लांट कारखाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर उक्त कारखाने का मुख्य गेट बंद मिला, जिस पर बाहर से ताला लगा हुआ था। मो. जुनैद को संपर्क कर जींस प्लांट को खुलवाकर देखा गया। उक्त जींस प्लांट में वाशिंग की मशीनें एवं उपकरण मिले, जो मौके पर बन्द थे तथा परिसर के अन्दर मरम्मत का कार्य चल रहा था। मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-7, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 04.08.2025 को नगर सम्भल के थाना क्षेत्र हयातनगर में संचालित 11 जींस कारखानों को बंद करने संबंधी आदेश जारी किये गये हैं। इन आदेशों में सम्बन्धित जींस वाशिंग प्लांट की विद्युत लाईन कटवाये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में उक्त परिसर की विद्युत लाईन कटी हुई पायी गयी। परन्तु जांच के दौरान परिसर की जांच करने पर परिसर में परिसर के पीछे से अवैध रूप से विद्युत कटिया कनेक्शन डालकर विद्युत चोरी पायी गयी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्र के जे.ई., विद्युत को मौके पर बुलाया गया तथा सम्बन्धित के विरुद्ध विद्युत चोरी के सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरांत उक्त मार्ग पर अवस्थित ओ.जी. जींस का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर जींस प्लांट बन्द मिला तथा मौके पर विद्युत लाईन कटी पायी गयी। मार्ग पर हसनपुर मुन्जब्ता की ओर अवस्थित का मो. कामिल एवं मो. इकराम निवासी सरायतरीन, सम्भल मो.नं. 8430072062 द्वारा संचालित जींस वाशिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर उक्त परिसर बन्द मिला विद्युत लाईन कटी हुई पायी गयी। मौके पर उपस्थित व्यक्तियों ने अवगत कराया कि ग्राम रूकनुद्दीन सराय में करबला को जाने वाले पर जींस कारखाने संचालित हैं। इस सूचना पर समिति स्थानीय पुलिस एवं रूकनुद्दीन सराय के जे.ई. विद्युत को साथ लेकर ग्राम रूकनुद्दीन सराय में स्थित बिजलीघर से करबला को जाने पर मार्ग पर ग्राम तुर्तीपुर इल्हा अक्षांतर 28.587808 देशांतर 78.5467 पर एक ही स्थान पर अवस्थित कुल 06 जींस वाशिंग प्लांटों का निरीक्षण किया गया।

- 1- इश्तेकार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, सम्भल।
- 2- याकूब पुत्र मो. फैजान निवासी दीपा सराय, सम्भल।
- 3- बिलाल पुत्र अनवार निवासी ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, सम्भल।
- 4- सफदर पुत्र अकबर निवासी ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, सम्भल एवं इमरान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खानुपर बन्द, सम्भल।
- 5- अजीमुर्रहमान पुत्र सगीर अहमद निवासी दीपा सराय, सम्भल।
- 6- मरगूब पुत्र मकसूद निवासी नाहरटेर, सम्भल।

निरीक्षण के समय क्र.सं. 1 से 4 तक अंकित व्यक्तियों द्वारा संचालित जींस वाशिंग प्लांट मौके पर संचालित पाये गये तथा क्र.सं. 5 एवं 6 पर अंकित व्यक्तियों द्वारा संचालित जींस वाशिंग प्लांट मौके पर बन्द पाये गये। विद्युत विभाग की टीम द्वारा अवगत कराया गया कि इश्तेकार पुत्र अख्तर निवासी ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, सम्भल एवं सफदर पुत्र अकबर निवासी ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, सम्भल तथा इमरान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खानुपर बन्द, सम्भल के जींस प्लांट की बिजली पूर्व में काट दी गयी थी परन्तु



इनके द्वारा बिना अनुमति के पुनः विद्युत लाईन जोड़ ली गयी है। इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांटों के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांटों में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जीस वाशिंग प्लांट द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त सफदर पुत्र अकबर निवासी ग्राम तुर्तीपुर इल्हा, सम्भल एवं इमरान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम खानुपर बन्द, सम्भल द्वारा संचालित जीस वाशिंग प्लांट में एक ट्यूवबैल लगा पाया। संचालक द्वारा बताया गया कि यह ट्यूवबैल सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जाता है परन्तु मौके पर इस ट्यूवबैल का उपयोग पाईप जोड़कर जीस वाशिंग प्लांट हेतु किया जा रहा था।
2. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांटों द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वाशिंग के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे पाईप के माध्यम से खेतों तथा नालियों में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार कारखाने में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।
3. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांटों द्वारा जी.एस.टी. पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांटों में अत्याधिक गन्दगी पाई गयी। इसके अतिरिक्त जीस कारखाने में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी।
5. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांटों में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं लगे पाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित अग्निशमन विभाग की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

जीस वाशिंग प्लांटों में उपर्युक्त अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट अवैध रूप से संचालित किये जा रहे हैं। मौके पर जीस वाशिंग प्लांट अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीस वाशिंग प्लांटों का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा विद्युत विभाग की टीम द्वारा इन जीस वाशिंग प्लांटों के विद्युत कनेक्शनों को संचालकों द्वारा समिति के समक्ष वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दिया गया ताकि इनके द्वारा जीस वाशिंग प्लांटों का संचालन न किया जा सके।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rishi Pal Singh
S.T-01
01/01/2018

ASPC
S/S
UPREB MBD

Sham
S/S
33/11/2018

2/1/18
city mty

EO NPPSAMBH

जिलाधिकारी,
सम्भल।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जीस कारखानों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 25.08.2025 को समय लगभग 12:30 बजे मोहल्ला मण्डी किशनदास सराय, सम्भल निकट वाहरी मस्जिद अक्षांतर 28.580366 देशांतर 78.582518 पर अवस्थित जीस वाशिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जीस वाशिंग प्लांट संचालित पाया गया। मौके पर जीस प्लांट में 10-15 मजदूर कार्य कर रहे थे। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह जीस कारखाना मो. मोनिस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मो. बरखेरियान, सरायतरीन, सम्भल हाल निवासी दिल्ली मो. नं. -8445579886 द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जीस वाशिंग प्लांट के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जीस वाशिंग प्लांट द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है।
2. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वाशिंग के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे पाईप के माध्यम से भूमि में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार जीस वाशिंग प्लांट में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।
3. श्री ऋषिपाल सिंह, सी.टी.ओ.(राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
4. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में अत्याधिक गन्दगी पाई गयी। इसके अतिरिक्त जीस वाशिंग प्लांट में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी।
5. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में सुरक्षा के दृष्टिगत अग्निशमन के कोई भी उपकरण नहीं लगे पाये गये। इस सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों द्वारा अग्निशमन विभाग की कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।
6. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग केमिकल को गर्म करने के लिए किया जा रहा है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-6ए का उल्लंघन है। मौके पर 02 घरेलू सिलेण्डर, 04 कामर्शियल सिलेण्डर तथा गैस चूल्हे रखे पाये गये। इनमें से एक घरेलू गैस सिलेण्डर से मौके पर केमिकल को गर्म किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में पूर्ति निरीक्षक, सम्भल को जीस प्लांट संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जीस वाशिंग प्लांट में उपर्युक्त अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट मो. मोनिस पुत्र रियाजुद्दीन निवासी मो. बरखेरियान, सरायतरीन, सम्भल हाल निवासी दिल्ली मो. नं.-8445579886 द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मौके पर जीस वाशिंग प्लांट अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीस वाशिंग प्लांट का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को निर्देशित किया गया कि वह इस जीस वाशिंग प्लांट के विद्युत कनेक्शन संचालक द्वारा समिति के समक्ष वैध



अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दी गयी, ताकि जींस प्लांट संचालित न कर सके। मौके पर जींस वाशिंग प्लांट में पाये गये सभी उपकरणों (मशीनों, जनरेटर एवं लगभग 3 हजार जींस आदि) को वीडियोग्राफी कराकर मो. मोनिस के प्रतिनिधि गुलाम वारिस पुत्र मुस्ताक शाह निवासी गरदहा, आमिर नगर, खीरी(उ.प्र.) मो.नं.-7906466577 को गवाह दिलीप मण्डल एवं आमिर सैफी की उपस्थिति में इस निर्देश के साथ सुपुर्दगी में दिया गया कि वह उपर्युक्त सामान को सुरक्षित रखेंगे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.T.O-1
सम्भार
अभिलेख

Hydrologist
UPWD

Handy
UPPERS
11/13/17

(प्रोफेसियल)
अभिलेख
33/11/2017 अक्षय कुमार

EONPP(S)

25/8/17
अक्षय कुमार

साधिकारी,
सम्भल।

संख्या: 349 / रीडर / 2025 दिनांक- 05.10.2025

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश पत्र संख्या 487/आ.लि.-अ.जि.स. दिनांक 17.07.2025 द्वारा नगर सम्भल में अवैध रूप से संचालित जीस कारखानों की जांच हेतु गठित समिति द्वारा आज दिनांक 05.10.2025 को समय लगभग 12:30 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम नाहरठेर, थाना-रायसत्ती तहसील व जिला सम्भल में अवस्थित डी.आर.एस. एन्टरप्राइसेज जीस वाशिंग प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जीस वाशिंग प्लांट संचालित पाया गया। मौके पर जीस प्लांट में 14-15 मजदूर कार्य कर रहे थे। इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यह जीस कारखाना दानिश पुत्र रजा अली निवासी ग्राम सलारपुर कलां थाना-नखासा तहसील व जिला सम्भल मो. नं. -8851907142 एवं फरमान पुत्र रजा अली निवासी ग्राम सलारपुर कलां थाना-नखासा तहसील व जिला सम्भल मो. नं.-7351042568 द्वारा संचालित किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जीस वाशिंग प्लांट के संचालन के सम्बन्ध में निम्नवत् अनियमितताएँ पायी गयी हैं:-

1. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। इस जीस वाशिंग प्लांट द्वारा भू-गर्भ जल विभाग से कोई पंजीकरण/अनापत्ति प्राप्त नहीं की गयी है।
2. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट द्वारा प्रदूषण विभाग से कोई भी स्थापनार्थ/संचालानार्थ सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। कारखाने में भूमिगत जल का प्रयोग केमिकल मिलाकर वाशिंग के कार्य में किया जा रहा है, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इस दूषित जल को इकाई द्वारा सीधे पाईप के माध्यम से भूमि में प्रवाहित किया जा रहा है। इस प्रकार जीस वाशिंग प्लांट में केमिकल का प्रयोग कर वायु एवं जल प्रदूषण किया जा रहा है।
3. श्री ऋषिपाल सिंह, सी.टी.ओ.(राज्य कर), खण्ड-1, सम्भल द्वारा अवगत कराया गया कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट द्वारा पंजीकरण के सम्बन्ध में कोई भी वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं परन्तु परिसर के बाहर लगी पोस्टर पर डी.आर.एस. एन्टरप्राइसेज एवं जी.एस.टी.आई.एन. संख्या 09ETAPD0820C1ZF अंकित पाया गया।
4. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में अत्याधिक गन्दगी पाई गयी। इसके अतिरिक्त जीस वाशिंग प्लांट में कोई भी प्राथमिक चिकित्सा हेतु कोई भी व्यवस्था नहीं पायी गयी।
5. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट में इलैक्ट्रॉनिक रॉड का उपयोग कर मौके पर कैमिकल को गर्म किया जा रहा था, जिससे मौके पर अत्यन्त दुर्गन्ध एवं गन्दगी पायी गयी।
6. उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट विद्युत लाईन एवं जनरेटर के माध्यम से संचालित पाया गया।

जीस वाशिंग प्लांट में उपर्युक्त अनियमितताएँ पाये जाने पर प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट है कि उपर्युक्त जीस वाशिंग प्लांट दानिश पुत्र रजा अली निवासी ग्राम सलारपुर कलां थाना-नखासा तहसील व जिला सम्भल मो. नं.-8851907142 एवं फरमान पुत्र रजा अली निवासी ग्राम सलारपुर कलां थाना-नखासा तहसील व जिला सम्भल मो. नं.-7351042568 द्वारा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। मौके पर जीस वाशिंग प्लांट अवैध रूप से संचालित पाये जाने के कारण जीस वाशिंग प्लांट का संचालन तत्काल बन्द कराया गया तथा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को निर्देशित किया गया कि वह इस जीस वाशिंग प्लांट के विद्युत कनेक्शन संचालक द्वारा समिति के समक्ष वैध अभिलेख प्रस्तुत करने तक कटवा दी गयी, ताकि जीस प्लांट संचालित न कर सके। मौके पर जीस वाशिंग प्लांट में पाये गये सभी उपकरणों (मशीनों, जनरेटर, लगभग 5 हजार जीस एवं अन्य समान) को

✓

258

ग्राफी कराकर हिलाल पुत्र गुलाम हुसैन निवासी ग्राम नाहरठेर, थाना-रायसत्ती तहसील व जिला
मो.नं.-9997060460 एवं फरमान पुत्र रजा अली निवासी ग्राम सलारपुर कलां थाना-नखासा
तहसील व जिला सम्भल मो. नं.-7351042568 को इस निर्देश के साथ सुपुर्दगी में दिया गया कि वह
उपर्युक्त सामान को अपनी सुपुर्दगी में रखेंगे तथा खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे तथा सक्षम स्तर से आदेश प्राप्त
होने तक इस वाशिंग प्लांट का संचालन किसी भी दशा में नहीं करेंगे।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अ.अ.अ.


5/10/25
city mkl.